न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
01 / 2017	06.02.2017	27-9-2017

पीठासीन अधिकारीः– रघुनाथ खटीक {आर.ए.एस}

1. बदाम पत्नी आनन्दी लाल जाति रेगर निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर राजस्थान

वादिया

बनाम

2. सरकार जरिए तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

प्रतिवादी

वादिया की ओर से श्री रामकेश मीना एडवोकेट

दावा बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती तहत दफा 88 आर टी एक्ट

निर्णय

वादीया ने वाद पत्र दावा बाबत् घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती तहत दफा 88 आर0 टी0 एक्ट का प्रस्तुत किया है जिसका संक्षेप मे विवरण निम्न प्रकार से है कि वादिया एवं सुशीला , मीनाक्षी, व सीताराम ने आनन्दी लाल पुत्र उँकारमल रैगर जाति रैगर निवासी चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर से उसकी कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2478 रकबा 1.26 है0 ग्राम चौथ का बरवाडा मे स्थित है जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद किया जिसका 4/5 हिस्सा जरिए नामान्तकरण संख्या 578 दिनांक 20.04.2010 खुलकर संयुक्त रुप से बराबर–बराबर हिस्सा 4/5 की खातेदारी हो गई और मुताबिक खातेदारी सभी अपनी–अपनी भूमि पर संयुक्त रुप से काबिज होकर अपने–अपने उपयोग व उपभोग मे लेते चले आ रहे है। वादीया एंव अन्य खातेदारो ने अपनी–अपनी खरीद शुदा आराजी का आपस मे तकासमा कर लिया कर लिया जिसका नामान्तकरण संख्या 586 दिनांक 09.12.2010 बंटवारा होकर पृथक–पृथक खातेदारी हो गई। मुताबिक बंटवारे के वादीया के नाम खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.2500है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा की खातेदारी दर्ज होकर तथा जमाबंदी मे अंकन हो गया। वादीया ने अपने कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.2500है0 अर्थात् 2500 वर्ग मीटर भूमि को आबादी भूमि मे संपरिवर्तन करवाया जिसका नामान्तकरण संख्या 617 दिनांक 25.05.2011 तस्दीक किया गया जिसका इन्द्राज जमाबदी सम्वत 2066 से 2069 मे किया गया है। जमाबंदी सम्वत 2066 से 2069 के बाद जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 जब तैयारा की गई तो उक्त जमाबंदी मे खसरा न0 2478 रकबा 0.25है0 को राजस्व कर्मचारियों की गलती से सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज कर दिया जबकि 0.25है0 की भी वादिया के नाम ही खातेदारी अंकित की जानी चाहिए थी। वादिया को राजस्व कर्मचारियो द्वारा की गई इस

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.17 10:26:23 IST
Reason: SelfAttested

गलती की कोई जानकारी नही थी परन्तु दिनांक 21.08.2015 को वादिया अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की उक्त भूमि की नकल निकलवाने हेतु पटवारी हल्का के पास गई तो पता चला की वादिया की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.25है0 सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज है। जबकि वास्तविक रुप से 0.25है0 की वादिया के नाम खातेदारी होनी चाहिए थी। इस पर वादिया ने पटवारी हल्का से इसे दुरुस्त करने को कहा तो पटवारी हल्का ने बताया की न्यायालय मे वाद दायर कर दुरुस्त कराओ इस कारण वादिया के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वादिया अपने कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.25है0 की अपनी नाम खातेदारी की घोषणा करवाये तथा इस रकबे मे से आबादी भूमि मे परिवर्तन करवाये गये खसरा 2478 रकबा 0.25है0 की आबादी भूमि जो गलत अंकित हो गई है। की अपने नाम खातेदारी इन्द्राज करवाये तथा सम्पूर्ण रकबा मे अपने नाम की खातेदारी अंकित करवाये बस यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा होना लाजिम आया है। सरकार के विरुद्व दावा दायरी से पूर्व विधिवत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादिया की उक्त भूमि को सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी दर्ज कर दिया है। इस कारण ग्राम पंचायत वादिया की उक्त भूमि मे पट्टे काटकर बेचान कर सकती है इसलिए प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने के कारण धारा 80(2) सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। घोषणा इस अमर की फरमाई जावे की वादिया विवाधित आराजी खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.25है0 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा की खातेदार है। खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.25है0 अर्थात 2500 वर्ग मीटर भूमि आबादी मे संपरिवर्तन करवाने से राजस्व कर्मचारियो की गलती से दर्ज सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी को हजफ फरमायी जाकर वादिया के नाम 0.25है0 अर्थात 2500 वर्ग मीटर की खातेदारी दर्ज फरमाई जाकर राजस्व रिकार्ड एंव रिकार्ड ऑफ राइटस को दुरुस्त फरमाया जावे ।

वकील वादिया की बहस सुनी गई। वादिया ने अपने वाद पत्र के अनुसार बहस की कि अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.25है0 को गै0मु0 आबादी मे संपरिवर्तन करवाया था जिसका जरिये नामान्तकरण उक्त
संपरिवर्तन भूमि को सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी मे [illegible] किया
जिससे वादिया की खातेदारी भूमि समाप्त हो गयी। संपरिवर्तन भू[illegible] सिवाय चक
बिला लगानी गै0मु0 आबादी मे दर्ज हो जाने के [illegible]
बरवाडा भूमि के पटटे काट सकती है जिससे वादिया को नुकसान होने की पूर्ण
सम्भवाना है अतः वादिया के नाम उक्त रकबे की खातेदारी दर्ज करते [illegible] किस्म
गै0मु0 आबादी करने हेतु दावा डिक्री करने के आदेश फरमाये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar S
Date: 2025.09.17 10:26:23 IS
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

क्रमशः.................

प्रकरण मे वकील वादिया की बहस सुनी गई तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादिया ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.25है0 अर्थात 2500 वर्ग मीटर भूमि का इस कायालय से गै0 मु0 आबादी मे संपरिवर्तन करवाया गया था जिसके नामान्तकरण संख्या 617 दिनांक 25.05.2011 से संपरिवर्तन भूमि को सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी मे दर्ज कर दिया गया इससे वादिया की खातेदारी भूमि से खातेदारी अधिकार समाप्त हो गये। संपरिवर्तन भूमि का राजस्व रिकार्ड मे वादिया की चाातेदारी रखते हुए किस्म गै0मु0 आबादी मे दर्ज करनी चाहिए थी। इस प्रकार वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम चौथ का बरवाडा पटवार मण्डल बी मे हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी 2070–73 मे दर्ज खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.25है0 (2500 वर्ग मीटर) सिवाय चक बिला लगानी गै0मु0 आबादी को खाता संख्या 1 से हजफ कर वादिया बदाम पत्नी आनन्दी लाल जाति रेगर निवासी चौथ का बरवाडा के नाम खसरा नम्बर 2478 रकबा 0.25है0(2500 वर्ग मीटर) किस्म गै0 मु0 आबादी की खातेदारी दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 27/9/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रघुनाथ खटीक)
उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.17 10:26:23 IST
Reason: SelfAttested